

न्यायालय— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0)  
{समक्ष-श्रीमति सीता कनोजे}

व्यवहार वाद क.-08ए/17  
 संस्थित दिनांक-13.01.2017

1. नरसिंग वल्द महंगीलाल कतिया, उम्र- 60 वर्ष
  2. मुसिया बेवा कानूलाल कतिया उम्र- 60 वर्ष
  3. निलेश पिता कानूलाल कतिया, उम्र- 40 वर्ष
  4. मंगलेश पिता कानूलाल कतिया, उम्र- 35 वर्ष
  5. चतुरलाल वल्द महंगीलाल कतिया, उम्र- 50 वर्ष
  6. नानीबाई पिता महंगीलाल कतिया, उम्र- 45 वर्ष
  7. रामकली पिता महंगीलाल कतिया, उम्र- 40 वर्ष
- समस्त निवासी छुरी पो. पाढ़र तह. घोड़ाडोंगरी  
 जिला बैतूल म.प्र.

-----आवेदकगण/वादीगण

—:विरुद्ध:—

1. रामलाल वल्द लाला उर्फ लालचंद कतिया, उम्र- 50 वर्ष  
 निवासी छुरी पो. पाढ़र तह. घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल  
 जिला बैतूल

—अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री श्याम सुंदर अधिवक्ता ।  
 प्रतिवादी क- 1 द्वारा श्री नरेन्द्र बेडरे अधिवक्ता ।  
 प्रतिवादी क- 2 पूर्व से एक पक्षीय ।

## आदेश

(आज दिनांक-01.09.2017 को पारित )

01. इस आदेश के द्वारा अनावेदक/प्रतिवादी क.-1 रामलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र. सं. 1908 का निराकरण किया जा रहा है ।

**02.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम छुरी की ख.न.- 32 रकबा 0.272 हे. भूमि के लिये प्रतिवादी क्र- 1 ने आधिपत्य के आधार पर स्वत्व, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिदावा पेश किया है।

**03.** स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त प्रतिवादी के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम पाढ़र की भूमि ख.न.- 118, 119 रकबा क्रमशः 9.92, 370 एकड़ भूमि स्थित है जिसमें 1/2 का हिस्सेदार प्रतिवादी क्र- 1 है। ख. न. 32 जिसका पुराना नं.- 31 है में 1/2 हिस्से के कुछ भाग प्रतिवादी क्र- 1 का मकान बना हुआ है तथा पीछे की ओर बाड़ी है जिस पर तुअर, मक्का की फसल बोया हुआ है। पिछले वर्ष 2015-16 में प्रतिवादी द्वारा तुअर की फसल बोई थी उस समय वादीगण द्वारा जबरन फसल मोड़ने का प्रयास किया जा रहा था जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना शाहपुर में की गई थी जिसके दौरान पुलिस द्वारा वादीगण को समझाईश दिये जाने पर प्रतिवादी के कब्जे में दखल नहीं दिया गया था।

**04.** वादी द्वारा इस वर्ष 2016-17 में भी प्रतिवादी के कब्जा में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा था जिसकी शिकायत पुलिस थाना शाहपुर में की गई है। विवादित मकान तथा उसके पीछे की बाड़ी में प्रतिवादी का कब्जा है और वह लगातार लगभग 45-46 वर्षों से कब्जे में है तथा उसके पूर्व उसके पिता कब्जा में थे तथा प्रतिवादी जिस मकान में रह रहा है उसके अलावा उसके पास रहने की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है और पीछे की बाड़ी का भी उपयोग फसल लेते हुए अनेक वर्षों से कर रहा है ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादी को होगी। प्रतिवादी द्वारा पेश प्रतिदावा में सफल होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी के पक्ष में है। इसलिये प्रतिवादी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण प्रकरण के निराकरण तक स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से हस्तक्षेप न करे और न ही उक्त भूमि को खुर्द बुर्द या विक्रय करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया।

**05.** वादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त प्रतिवादी के अभिवचनों को असत्य बताकर अस्वीकृत किया है उनका पक्ष है कि वादीगण के पिता मंहगीलाल व हीरू कतिया थे। जमीन अकेले मंहगीलाल के नाम से राजस्व

अभिलेखों में दर्ज होकर उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। उक्त विवादित भूमि में मंहंगीलाल ने 15 गुणा 20 एरिया में एक मकान बनाया था। मंहंगीलाल ने भाई लाला के पुत्र रामलाल द्वारा वर्ष 2012 में यह कहकर अनुमति से रहने लगा था कि वर्तमान में उसके पास रहने के लिये मकान नहीं है। व्यवस्था होने पर वादीगण की मांग पर मकान खाली कर देगा। वादीगण के चाचा का पुत्र होने से उसकी बातों पर विश्वास कर रहने हेतु अनुमति दी गई। विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है, वर्तमान में मक्का की फसल वही लेंगे।

**06.** वादीगण ने विशेष कथन में उल्लेख किया है कि पूर्व में प्रतिवादी क्र 1 के पिता ने एक दावा वादीगण के विरुद्ध उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि पर स्वत्व की घोषणा पाने हेतु 87ए/2003 न्यायालय चतुर्थ न्यायालय वर्ग-2 बैतूल (श्री सुनील शोक) के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया वाद के विचारण के दौरान लालचंद वल्द हीरू कतिया की मृत्यु हो जाने से दिनांक-14.11.2003 को प्रतिवादीगण पक्षकार (वादीगण) के रूप में संयोजित हुए थे जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2004 को रामलाल वगैरह का दावा गुण दोषों के आधार पर वादीगण नरसिंह के विरुद्ध स्वत्व न मानकर दावा निरस्त कर दिया, जिसकी प्रतिवादी क्र- 1 द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इस कारण ख.न. 32 मौजा छुरी का चतुर्थ व्यवहार न्यायालय बैतूल का आदेश दिनांक 07.07.2004 का निर्णय डिक्री अंतिम हो चुका है।

**07.** समान पक्षकार एवं समान न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ही विवाद ख.न. 32 पर अंतिम निष्कर्ष पूर्व में 2004 में पूर्व न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्र- 1 का वादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत जवाबदावा धारा- 11 सी.पी.सी. का बाधित होने से प्रचलन योग्य नहीं है। आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

**08.** अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित तीन अवधारणीय बिन्दु है कि क्या -

- 1- प्रथम दृष्ट्या मामला ।
- 2- सुविधा का संतुलन या ।

3— अपूर्णीय स्वरूप की क्षति के मानक प्रतिवादी के पक्ष में है।

**—:अवधारणीय बिन्दु क्रमांक-1 सकारण निष्कर्ष:—**

**09.** प्रतिवादी द्वारा ग्राम छुरी में स्थित ख.न- 32 रकबा 0.272 हे . भूमि में 1/2 हिस्सा एवं ग्राम पाठर की भूमि ख.न. 118, 119 रकबा 9.92, 0. 370 एकड़ भूमि में 1/2 भाग का प्रतिवादी क्र- 1 हिस्सेदार है। जबकि वादीगण ने प्रतिवादी के उक्त अभिवचन को असत्य होना बताया है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण के पिता महंगीलाल एवं प्रतिवादी क्र- 1 के पिता लालचंद आपस में सगे भाई हैं। प्रतिवादी क्र.- 1 द्वारा वर्ष 1916-17, 1945-46 एवं 1948-49 तथा 1950-51 से 1952-53 खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ख.न.- 31 रकबा 0.69 की भूमि छोटे वल्द बुद्धू के भूमि स्वामी स्वत्व की है, जो वर्ष 1950-51 में महंगी व लाला वल्द हीरू के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज हुई । इसी प्रकार ख.न. 118 रकबा 9.92 तथा ख.न. 119 रकबा 3.70 की भूमि वर्ष 1949-50 से 1952-53 तक महंगी व लाला वल्द हीरू के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज रही। वर्ष 54-55 के पश्चात उक्त राजस्व अभिलेखों से लाला वल्द हीरू का नाम किस आधार पर हटाया गया इस संबंध में वादीगण की ओर से राजस्व अधिकारी का आदेश पेश नहीं किया गया है।

**10.** वादीगण के अभिवचन है कि विवाद ख.न. 32 पर अंतिम निष्कर्ष पूर्व में 2004 में पूर्व न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्र- 1 का वादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत जवाबदावा धारा- 11 सी.पी. सी. का बाधित होने से प्रचलन योग्य नहीं है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं निर्णय दिनांक 07.07.2004 में विवादित विषय वस्तु ख.न.-31 रकबा 0.69 हे. की भूमि है । जबकि प्रतिवादी क्र- 1 द्वारा प्रतिदावे में ख.न.- 31 जिसका नया ख.न- 32 रकबा 0.272 हे. भूमि को विवादित होना अभिवचित किया है। ऐसी स्थिति में पूर्व के वाद 87ए/2003 में विवादित विषय वस्तु खसरा नंबर समान किन्तु रकबे में भिन्नता है इसलिए उक्त वाद की विषय वस्तु इस वाद की विषय वस्तु से भिन्न होना प्रथम दृष्ट्या स्थापित होकर धारा-11 सी.पी.सी की बाध्यता होना प्रथम दृष्ट्या स्थापित नहीं ।

**11.** खसरा वर्ष 86-87 में खसरा न. 138/1, रकबा 2.901 की भूमि महंगीलाल वल्द हीरू के नाम दर्ज हुई तथा 138/2 रकबा 1.113 की भूमि लाला वल्द हीरू के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज हुई, जो 1985-86 में भी दर्ज है। उसके पश्चात उक्तराजस्व अभिलेखों में लाला वल्द हीरू का नाम किस आधार पर हटाया गया इस संबंध में वादीगण की ओर से राजस्व अधिकारी का आदेश पेश नहीं किया गया है।

**12.** प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों की सत्यता की उपधारणा का खंडन धारा 117 म.प्र. भू.राजस्व संहिता के उपबंध के अधीन वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व अभिलेख सत्य होने की उपधारणा करते हुए विवादित भूमियों में प्रतिवादी क-1 के पिता लाला उर्फ लालचंद का स्वत्व होना प्रथम दृष्ट्या स्थापित होने से प्रतिवादी का प्रथम दृष्ट्या मामला होना स्थापित होता है।

### **—:अवधारणीय बिन्दु क्रमांक- 2 व 3 सकारण निष्कर्ष:-**

**13.** प्रतिवादी रामलाल ने यह अभिवचन किए हैं कि ख.न.- 32 जिसका पुराना नंबर 31 है, में प्रतिवादी क-1 का मकान बना हुआ है, पीछे उसकी बाड़ी है। जबकि वादीगण ने प्रतिवादी के उक्त अभिवचन को असत्य करार दिया है तथा वादीगण ने यह अभिवचन किया है कि उक्त ख.न. की भूमि पर महंगीलाल ने 15 X 20 एरिया में मकान बनाया था और प्रतिवादी रामलाल को वर्ष 2012 में रहने के लिए दिया था। प्रतिवादी रामलाल के पक्ष के समर्थन में साक्षी तुलसीराम पिता लक्ष्मीनारायण, धीरज पिता कोदू, जगरू पिता ढीमू, बाबूलाल पिता कुंजी, रामकिशन पिता फागू ने शपथ पर कथन में बताया है कि महंगी और लाला उर्फ लालचंद दोनों सगे भाई थे। छुरी एवं पाढर की आधी आधी भूमि दोनों की थी। रामलाल का आधे हिस्से में कब्जा है जिस पर लगभग 45-50 वर्षों से रामलाल का मकान बना है तथा प्रतिवादी रामलाल द्वारा ग्राम छुरी में निवासरत होने का सरपंच ग्राम पंचायत पाढर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

**14.** वादीगण द्वारा प्रतिवादी क-1 की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेज एवं कथनों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्थापित होता है कि ख.न.- 31 रकबा 0.69 की भूमि में निर्मित

मकान में प्रतिवादी क्र- 1 निवासरत है, उक्त मकान वादीगण के स्वामित्व का है, इस तथ्य का निर्धारण साक्ष्य प्रस्तुति के पश्चात गुण-दोषों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

**15.** विवादित ख.न. 118 रकबा 9.92 तथा ख.न. 119 रकबा 3.70 की भूमि 49-50 से 52-53 तक महंगी व लाला वल्द हीरू के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज रही। पश्चात उक्त भूमियों में प्रतिवादी क्र- 1 के पिता लाला उर्फ लालचंद का नाम राजस्व अभिलेखों में से क्यों हटाया गया, इस तथ्य के संबंध में वादीगण के संतोषजनक अभिवचन आवेदन में नहीं है। अभिलेख पर आई उक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि विवादित ख.न. 31 में बने मकान में से प्रतिवादी को बेदखल कर दिया जाता है तो अवश्य ही वादीगण की तुलना में प्रतिवादी को क्षति होगी।

**16.** अतः प्रतिवादी क्र 1 का आवेदन स्वीकार कर वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि विधि की प्रक्रिया का पालन किये बिना विवादित मकान से प्रतिवादी क्र- 1 को बेकब्जा नहीं किया जावे तथा ख.न. 118, 119 की भूमि को वादीगण किसी भी प्रकार से विक्रय या अंतरित नहीं करे।

**17.** इस आदेश के विवेचन का प्रभाव प्रकरण के आगामी प्रक्रमों पर नहीं होगा।

आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर,  
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /—

सही /—

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.  
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल  
जिला-बैतूल (म0प्र0)

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.  
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल  
जिला-बैतूल (म0प्र0)